भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

केन्द्रीय भवन, पाँचवाँ तल
सेक्टर एच, अलीगंज
लखनऊ – 226 024
फोन: 2324340, 2324025
फैक्स: (0522) 2326696

पत्र संख्या आरटीआई/यूपी/24/2010

दिनांक: 07.07.2010

सेवा में,

श्री राजेन्द त्यागी
पार्षद
7/17, चिरंजीव विहार
वार्ड नं068, राजनगर
गाजियाबाद।

विषय:– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत एवं जनहित में सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 14.06.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस–वे इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे परियोजना के बावत मांगी गयी सूचनाएँ बिन्दुवार निम्नवत् है:–

1. इस परियोजना के लिए किसी प्रकार की पर्यावरण स्वीकृति अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। No permission

2. पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है या नही इस सम्बन्ध में इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं है। वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे निर्माण हेतु जनपद गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर के लिए प्रस्तुत किया गया था जिसमें कुछ त्रुटियाँ थी जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या द्वितीय/कंसोलिडेटेड/1151/2010/368 दिनांक 11.06.2010 (छायाप्रति अनुलग्नक–1 संलग्न) द्वारा वापस करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए लिखा गया है।

3. अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति एवं वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान नही की गयी है। प्रस्तावित परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए कोई भी पेड़ नहीं काटा गया है। टेंडर एवं अन्य कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नही है।

4. अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे परियोजना का कोई भी प्रस्ताव इस कार्यालय में विचाराधीन नही है इसलिए पातन किये जाने वाले वृक्षों एवं वन्यजीव प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके आंकलन की आवश्यकता नही है।

5. गंगा कैनाल के दाहिने नही बल्कि बाँये किनारे पर चौधरी चरण सिंह कावंड मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया था। प्रस्तावित भूमि जिसका कार्य होना है उ0प्र0 सिंचाई विभाग की है एवं प्रस्तावित कार्य उनके द्वारा ही किया जाना है। अतः इस तरह के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम के पैरा 2.5 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रस्ताव में पातित वृक्षों तथा वनभूमि का क्षेत्रफल हेक्टेअर में दिया गया है उसका सारांश निम्नवत् है:–

Government of India
Ministry of Environment & Forests
Regional Office (Central Region)

Kendriya Bhawan, 5[th] Floor,
Sector-H, Aliganj, Lucknow-4
Telefax: 0522-2326696

File No. 8B/UP/02/77/2009-FC

Date: 17.06.2010

To,

Secretary Forests,
Govt. of Uttar Pradesh,
Bapu Bhawan,
Lucknow

Sub.: Widening of Chaudhary Charan Singh Kavarn Road beside Upper Ganga Canal Marg- regarding.

Ref.: This office letter no. 8B/UP/02/76/2009-FC/1913, Dt. 22.03.2010 & letter no. 8B/UP/02/77/2009-FC/1403 Dt. 05.02.2010

Sir,

I am directed to invite your kind attention to the above cited reference conveying therewith principle approval for widening of the roads in Meerut and Muzaffarnagar District involving 15.09 ha. and 16.18 ha. respectively. The final approval in these cases are still pending since compliance of the condition stipulated have not been complied so far. It has come to the notice of this office that the work of in full swing and large number trees has already been felled. As the final approval in these cases have not been accorded under FC Act, 1980 therefore any activity without final approval would amount to violation of FC Act, 1980.

I am further directed to request you to furnish the present status of the works in the above cases and to ensure that the work if started they should be stopped immediately. The in principle approval accorded in these cases stand in- effective till further order.

Yours faithfully

(Shailja Singh)
Conservator of Forests

Copy to :

1- Nodal Officer & CF, Forests Utilization Circle, Aranya Bhawan, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, U.P.
2- Chief Conservator of Forests, Meerut Forest Division, Meerut, U.P.
3- The Conservator of Forests, Meerut Circle, Meerut, U.P.
4- Divisional Forest Officer, Forest Division Muzaffarnagar, U.P.
5- Chief Conservator of Forests, Meerut, Social Forestry Division, Meerut, U.P.
6- Executive Engineer, Irrigation Department, Muzaffarnagar, U.P.
7- Executive Engineer, Irrigation Department, Meerut, U.P.

} This will be the personal responsibility if any violation of FC Act, 1980 found in the above mentioned cases.

(Shailja Singh)
Conservator of Forests

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं० 11/कन्सोलिडेटेड/1151/2010/360

दिनांक : 11.06.2010

सेवा में,

विशेष सचिव, वन,
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय : उ० प्र० के जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मेरठ एवं मुज्जफरनगर में अपर गंगा कैनाल के दायें पटरी पर 8 लेन प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विशेष सचिव, वन द्वारा उ० प्र० के जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मेरठ एवं मुज्जफरनगर में अपर गंगा कैनाल के दायें पटरी पर 8 लेन प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे के पाँच प्रस्ताव 655.385 हे० एवं 34477 वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु निम्न पत्रों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित किये गये है। जिनकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:–

क्र०सं०	प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल हे०	पातन किये जाने वाले वृक्षों की संख्या	जनपद	नोडल अधिकारी/राज्य सरकार का पत्रांक एवं दिनांक
1.	गंगा कैनाल के दायें पटरी पर 8 लेन प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।	23.04	137	बुलन्दशहर	1833/14–2–2010 लखनऊ दिनांक 03.06.2010
2.	गंगा कैनाल के दायें पटरी पर 8 लेन प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।	184.758	10899	मेरठ	949/14–2–2010 लखनऊ दिनांक 31.03.2010
3.	गंगा कैनाल के दायें पटरी पर 8 लेन प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।	244.327	13992	मुजफ्फरनगर	947/14–2–2010 लखनऊ दिनांक 31.03.2010
4.	गंगा कैनाल के दायें पटरी पर 8 लेन प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।	183.05	9376	गाजियाबाद	1514/14–2–2010 लखनऊ दिनांक 17.05.2010
5.	गंगा कैनाल के दायें पटरी पर 8 लेन प्रवेश नियन्त्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण के सम्बन्ध में।	20.21	73	गौतमबुद्धनगर	1513/14–2–2010 लखनऊ दिनांक 17.05.2010
	कुल क्षेत्रफल	655.385	34477		

1. वन संरक्षण अधिनियम मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 2.2 (iii) के अनुसार प्रस्तावों को खण्ड–खण्ड में समर्पित न किया जाय। अतः पाँचो प्रस्तावों को एक समेकित कर एक प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

Reserved forest declared

2. अपर गंगा कैनाल पर भूमि का स्वामित्व सिंचाई विभाग, उ०प्र० का है किन्तु नहर किनारे पट्टियाँ संरक्षित वन घोषित की गई है। जिन पर बहुत प्राचीन वृक्ष खड़े हुए है। अतः मार्गदर्शी सिद्धान्त 2.5(i) एवं 2.5(ii) के प्रविधान लागू नही होंगे और इसमें क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को समतुल्य गैर वनभूमि प्रदान करनी होगी जो प्रस्ताव में नही है।

अतः उक्त पाँचो प्रस्ताव 40 हे० से अधिक है इसलिए सभी मूल रूप में वापस करते हुए मुझे आपसे कहना है कि उ०प्र० के जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मेरठ एवं मुज्जफरनगर का उत्तर प्रदेश राज्य में एक समेकित प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाय एवं एक प्रति इस कार्यालय में स्थल निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाय। जब तक भारत सरकार से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त नही होती है तब तक किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नही किया जाय अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना जायेगा।

O/C

भवदीय,

संलग्नकः गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, मेरठ एवं मुज्जफरनगर जिले के मूल प्रस्ताव

(आजम जैदी)
मुख्य वन संरक्षक (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति० वन महानिदेशक, एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003.
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, मेरठ वन प्रभाग, मेरठ को सूचनार्थ यदि किसी प्रकार का कार्य किया जाता है तो यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मुजफ्फरनगर, उ०प्र०।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मेरठ उ०प्र०
6. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०
7. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बुलन्दशहर, उ०प्र०
8. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग सहारनपुर, उ०प्र०
9. आदेश पत्रावली ।

(आजम जैदी)
मुख्य वन संरक्षक (के०)